PART-II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 2015

संख्या लैज. 10/2015.— दि हरियाणा रेजिसट्रेशॅन ऐन्ड रेग्युलेशॅन ऑव सॅसाइटिज (ॲमेन्डमेन्ट) ऑ:ड्–इ–नॅन्स, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 अगस्त, 2015, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2015

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए

अध्यादेश

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

1. यह अध्यादेश हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2015, कहा जा सकता है। — संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (iii) में, ''तीन सौ'', शब्दों के स्थान पर, ''पांच सौ'', शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। — 2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– — 2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 30 का संशोधन।

''(1) पांच सौ से अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली सोसाइटी, जब तक यह धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) तथा धारा 51 की उपधारा (2) के अनुसार दो या दो से अधिक सोसाइटियों में विभाजित नहीं की गई है या इसकी सदस्यता का पुनः अवधारण तथा पुनरीक्षित करने का विकल्प नहीं देती है, इसकी उप–विधियों के अनुसार कम से कम इक्कीस तथा अधिक से अधिक तीन सौ सदस्यों से मिलकर बनने वाले कॉलिजियम का गठन करेगी। इस मामले में कॉलिजियम की स्थिति हर प्रकार से उसी रूप में होगी जो पांच सौ से अनधिक सदस्यों को मिलाकर बनने वाली किसी सोसाइटी के सामान्य निकाय का रूप है।''।

4. मूल अधिनियम की धारा 32 में,– — 2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 32 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) जहां पांच सौ सदस्यों से अधिक से मिलकर बनी सोसाइटी अधिनियम के लागू होने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत है, वहां यह निम्नलिखित के सम्बन्ध में शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए नियत तिथि से कम से कम छह मास पूर्व विशेष संकल्प के माध्यम से विचार करने तथा निर्णय करने के लिए अपने सदस्यों की बैठक बुलाएगी,–

(i) सदस्यों की वर्तमान संख्या को बनाए रखने ; या

(ii) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान या विशेष अतिरिक्त प्रभारों सहित पुनरीक्षित मापदण्ड के भोगाधिकार द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों की संख्या पुनः अवधारित करनेः

परन्तु यदि किसी ऐसे पुनरीक्षित मापदण्ड के लिए विकल्प देने वाले सदस्यों की संख्या पांच सौ से अधिक है, तो सदस्यता ड्रा ऑफ लाट्स द्वारा

विनिश्चित की जाएगीः

परन्तु यह और कि यदि सदस्यता के पुनः अवधारण पर, सदस्यों की संख्या पांच सौ या कम तक सीमित है, तो वह सोसाइटी का सामान्य निकाय गठित करेगी।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(3) जहां उपधारा (1) के खण्ड (i) अथवा (ii) के अधीन सोसाइटी की सदस्यता पांच सौ से अधिक है, वहां शासकीय निकाय कॉलिजियम के निर्वाचन को करवाने के लिए नियम, जो विहित किए जाएं, के अनुसार निर्वाचकगण के अवधारण की स्कीम तैयार करेगा तथा उसे इसकी उपविधियों के परिणामिक संशोधन सहित विशेष संकल्प के रूप में इसके सदस्यों के पुनर्विचार के लिए रखेगा।''।

चण्डीगढ़ः
दिनांक 25 अगस्त, 2015.

प्रो0 कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 2015

संख्या लैज. 11/2015.— दि हरियाणा पॅन्चाइअॅटी राज (अॅमे'न्डमॅन्ट) ऑ:ड्इनॅन्स, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 अगस्त, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:–

2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,

को आगे संशोधित करने के लिए

अध्यादेश

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. यह अध्यादेश हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में,– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 175 का संशोधन।

I. खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(कक) किसी आपराधिक मामले में कारावास जो दस वर्ष से कम न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं किया गया है, किन्तु आरोप लगाए गए हों ; या'';

II. खण्ड (ध) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(न) उसकी ओर देय किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के किसी प्रकार के किन्हीं बकायों का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(प) बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(फ) किसी मान्यताप्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास न की हो :

परन्तु किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित किसी उम्मीदवार की दशा में, न्यूनतम योग्यता मिडल पास होगी ; या

(ब) इस आशय की स्वतः घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है कि वह अपने निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय रखता है ।''।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अगस्त, 2015.

प्रो0 कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 2015

संख्या लैज.12/2015– दि हरियाणा म्यूनिसिपॅल कॉःपॅरेशन (ॲमे'न्डमेन्ट) ऑःड्इनॅन्स, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 अगस्त, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2015
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित
करने के लिए
अध्यादेश

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. (1) यह अध्यादेश हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह 28 नवम्बर, 2014 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 45 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 45 का संशोधन।

''(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपयुक्त अधिकारी को, निगम आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।''।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अगस्त, 2015.

प्रो0 कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

53642—L.R—H.G.P., Chd.